

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)

वाद सं०-M 18/2018

धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता

रामु मुण्डा .. प्रथम पक्ष

बनाम

बुधराम मुण्डा वगैरह..... द्वितीय पक्ष

आदेश

09.08.2018

प्रस्तुत वाद थाना प्रमारी दशमफॉल के अप्राथमिकी संख्या DR-125/2018 दिनांक 16/05/2018 के प्रतिवेदित किया है कि निम्न विवादित जमीन को लेकर उभय पक्ष में शांति भंग होने की संभावना बनी हुई है। थाना प्रमारी के प्रतिवेदन के आलोक में निम्न विवादित जमीन को लेकर उभय पक्ष में शांति भंग होने की संभावना को देखते हुए उभय पक्ष के विरुद्ध धारा-144 द०प्र०सं० के तहत कार्यवाही प्रारंभ किया गया। साथ ही साथ उभय पक्ष को विवादी जमीन पर जाने से 60 (साठ) दिनों तक रोक लगाया गया। उभय पक्ष को कारण-पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

भूमि का विवरणी

मौजा-सारजमडीह, थाना-बुण्डू, जिला-राँची

खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा	चौहदी
67	566	10 डी०	उत्तर-सिरका मुण्डा दक्षिण-रास्ता पूरव-सारजमडीह बाजार पश्चिम-युगल लोहरा

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से अपना-अपना जबाब दाखिल किया गया है।

प्रथम पक्ष का कारण पृच्छा

प्रथम पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता अपने पक्ष में निम्न उल्लेख किये हैं:-

1. यह है कि विवादित जमीन को प्रथम पक्ष के दादाजी सोमा मुण्डा को सरकारी बन्दोवस्ती सन् 1970-71 द्वारा प्राप्त है। जिसका लगान निर्धारण वाद संख्या-128/338/1970-71 है, जिसका वार्षिक लगान 05 पैसा के अलावे शेष 25 पैसा निर्धारण किया गया है। विवादित जमीन के कुछ हिस्से में प्रथम पक्ष मकान बनाकर सपरिवार निवास करते हैं। वर्तमान में प्रथम पक्ष ग्राम- आड़ाडीह पो०-चुरगी थाना- बुण्डू, हाल थाना-दशमफॉल में रहते हैं। द्वितीय पक्ष के सदस्य के द्वारा प्रथम पक्ष के दिवाल को तोड़कर मकान बना रहे हैं। विवादित जमीन खेंवट संख्या-13 के अन्तर्गत आता है। जो सरकार में निहित हुआ है। द्वितीय पक्ष को विवादित जमीन से कोई लेना देना नहीं है। द्वितीय पक्ष विवादित जमीन को जोरजबरजस्ती कब्जा करना चाहते हैं। विवादित जमीन को लेकर द्वितीय पक्ष के हाथों ही शांति भंग होने की संभावना बनी हुई है। उन्हाने द० प्र० सं० की धारा-144 के तहत द्वितीय पक्ष के विरुद्ध प्रतिबंधित एवं इसी नियम पर प्रथम पक्ष के हित में रिक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

09-08-2018

2

द्वितीय पक्ष का पक्ष

द्वितीय पक्ष के सदस्य संख्या-01 एवं 02 की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता अपने पक्ष में निम्न उल्लेख किये हैं:-

1. यह है कि विवादित जमीन खेवट न0-13 के अन्तर्गत आता है। खेवट संख्या-13 खेवट संख्या-5, 6, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/10, 9/11, 9/12, 11/1, 11/2 एवं 12 खेवट की सामिलात खेवट है। द्वितीय पक्ष के सदस्य संख्या-01 एवं 02 खेवट सं0-7/1, 7/2, 7/3 के वंशज है। विवादित जमीन मुण्डारी खूंटकट्टी जमीन है। विवादित जमीन पर प्रथम पक्ष की किसी प्रकार का हक एवं दावा नहीं है। विवादित जमीन द्वितीय पक्ष की खतियानी जमीन है। विवादित जमीन को लेकर प्रथम पक्ष के हाथों ही शांति मंग होने की संभावना बनी हुई है।

द्वितीय पक्ष के सदस्य संख्या-03 की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता अपने पक्ष में उल्लेख किये हैं कि विवादित जमीन खेवट न0-13 के अन्तर्गत आता है। खेवट संख्या-13 खेवट संख्या-5, 6, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/10, 9/11, 9/12, 11/1, 11/2 एवं 12 खेवट की सामिलात खेवट है। द्वितीय पक्ष के सदस्य संख्या-03 खेवट सं0-8/1 के वंशज है। विवादित जमीन मुण्डारी खूंटकट्टी जमीन है। विवादित जमीन प्रथम पक्ष की खतियानी जमीन है। विवादित जमीन पर प्रथम पक्ष का किसी प्रकार का हक एवं दावा नहीं अनता है। विवादित जमीन को लेकर प्रथम पक्ष के हाथों ही शांति मंग होने की संभावना बनी हुई है। उन्होंने द0 प्र0 सं0 की धारा-144 के तहत प्रथम पक्ष के विरुद्ध प्रतिबंधित एवं इसी नियम पर द्वितीय पक्ष के हित में रिक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उमय पक्ष के बहस को सुनने, एवं दाखिल किये गये कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादित जमीन उमय पक्ष स्वत्व को लेकर विवाद प्रतीत होता है। जो धारा-144 के तहत आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। वाद को बिना प्रभावी आदेश पारित किये समाप्त किया जाता है। उमय पक्ष न्याय हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बुण्डू।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बुण्डू।